



2026:AHC:71195

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 के तहत आवेदन बी.एन.एस.एस. संख्या- 9361 वर्ष 2026

कृष्ण कुमार गुप्ता @ के.के. गुप्ता आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: नमता शुक्ला, संतोष कुमार शुक्ला

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 77

माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्रीवास्तव

1. आवेदक के लिए अधिवक्ता और राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत आवेदन को धारा 420, 406, 506 भ०द०वि०, थाना-रूरा, जिला कानपुर देहात के तहत केस अपराध संख्या-396 वर्ष 2020 से उत्पन्न होने वाली केस संख्या-50296 वर्ष 2021 की पूरी कार्यवाही को रद्द करने और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-2, कानपुर देहात द्वारा पारित दिनांक 8.11.2021 के संज्ञान आदेश और आरोप पत्र दिनांक 27.11.2020 को रद्द करने के लिए दायर की गई है।
3. आवेदक की ओर से पेश अधिवक्ता ने आक्षेपित आरोप पत्र को संज्ञान/समन आदेश और प्रस्तुत मामले की पूरी कार्यवाही के साथ इस आधार पर चुनौती दी है कि धारा 420 और 406 भ०द०वि० एक साथ एक साथ नहीं चल सकती है, जैसा कि दिल्ली रेश क्लब (1940) लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2024 10 एस.सी.सी. 690 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय कानून के प्रस्ताव के अनुसार एक साथ नहीं चल सकता है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग यहां पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है: -

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"38. हमारे विचार में, शिकायत का सादा पठन ऊपर उल्लिखित किसी भी उपरोक्त सामग्री को स्पष्ट करने में विफल रहता है। हम केवल पुलिस के साथ-साथ अवर न्यायालयों के मन में कानून की एक गंभीर गलत धारणा को दूर करने की दृष्टि से यह कह सकते हैं कि यदि यह शिकायतकर्ता का मामला है कि धारा 405 भ०द०वि० के तहत परिभाषित आपराधिक विश्वासघात का अपराध, धारा 406 भ०द०वि० के तहत दंडनीय, आरोपी द्वारा किया जाता है, तो साथ ही यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी ने धारा 415 भ०द०वि० में परिभाषित और समझाया गया धोखा देने का अपराध भी किया है, जो धारा 420 भ०द०वि० के तहत दंडनीय है।

41. अनुबंध के केवल उल्लंघन और आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के अपराध के बीच का अंतर एक जुर्माना है। धोखाधड़ी के मामले में, प्रलोभन के समय अभियुक्त के इरादे पर गौर किया जाना चाहिए, जिसे बाद के आचरण द्वारा आंका जा सकता है, लेकिन इसके लिए, बाद का आचरण एकमात्र परीक्षण नहीं है। अनुबंध का केवल उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकता है जब तक कि लेनदेन की शुरुआत से ही धोखाधड़ी या बेईमान इरादा नहीं दिखाया जाता है यानी वह समय जब अपराध किया गया कहा जाता है। इसलिए, यह इरादा है, जो अपराध का सार है।

43. आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के बीच अंतर है। धोखाधड़ी के लिए, झूठे या भ्रामक प्रतिनिधित्व करने के समय यानी शुरुआत से ही आपराधिक इरादा आवश्यक है। आपराधिक विश्वास के उल्लंघन में, सौंपने का केवल प्रमाण पर्याप्त है। इस प्रकार, आपराधिक विश्वासघात के मामले में, अपराधी को कानूनी रूप से संपत्ति सौंपी जाती है, और उसने बेईमानी से उसका दुरुपयोग किया है। जबकि, धोखाधड़ी के मामले में, अपराधी किसी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को वितरित करने के लिए धोखा देकर धोखाधड़ी या बेईमानी से प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में, दोनों अपराध एक साथ नहीं रह सकते हैं।

55. अब समय आ गया है कि देश भर के पुलिस अधिकारियों को कानून में उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि धोखाधड़ी के अपराध और आपराधिक



विश्वासघात के बीच के अंतर को समझा जा सके। दोनों अपराध स्वतंत्र और अलग हैं। दोनों अपराध एक ही तरह के तथ्यों में एक साथ नहीं रह सकते। वे एक दूसरे के विरोधी हैं। भारतीय दंड संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023) के ये दोनों प्रावधान ऐसे जुड़ाव नहीं हैं कि वे एक-दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते।

4. दूसरी ओर, अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से मांगी गई प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन आवेदकों के लिए उपस्थित अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए कानून के स्थापित प्रस्ताव पर विवाद करने में असमर्थ है।
5. चूंकि, आवेदक के इशारे पर केवल कानूनी तर्क उठाया गया है, इसलिए प्रतिपक्षी संख्या-2 को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया एतद्वारा समाप्त कर दी जाती है।
6. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद, मामले के अभिलेखों और दिल्ली रेस क्लब (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखने के बाद, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दोनों धाराएं यानी धारा 420 और 406 भेदवि० एक ही सांस में नहीं जा सकती हैं और इस तरह, 8.11.2021 के संज्ञान/समन आदेश को रद्द किया जा सकता है। यद्यपि दिल्ली रेस क्लब (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 23.08.2024 को पारित किया गया है और प्रस्तुत मामले में अपराध का संज्ञान दिनांक 8.11.2021 को लिया गया है और **कनिष्क सिन्हा और एक अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य [2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 443]** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हमेशा पूर्वव्यापी प्रकृति का होगा जब तक कि निर्णय स्वयं विशेष रूप से यह न कहता हो कि निर्णय संभावित रूप से काम करेगा।
7. इसके मद्देनजर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-2, कानपुर देहात द्वारा पारित दिनांक 8.11.2021 को केस अपराध संख्या-396 वर्ष 2020 से उत्पन्न केस संख्या-50296 वर्ष 2021 में पारित संज्ञान/समन आदेश केवल आवेदक (ओं) के संबंध में **रद्द/अपास्त** किया जाता है। दिल्ली रेस क्लब (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए कानून के प्रस्ताव के आलोक में, यदि



आवश्यक हो, तो अपराध का संज्ञान लेने का नया आदेश पारित करने के लिए मामले को संबंधित अदालत को वापस भेज दिया जाता है।

8. तदनुसार, प्रस्तुत आवेदन को आंशिक रूप से **अनुमति** दी जाती है।

मार्च 31, 2026

शास्वत

(न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव)

Translated Version. Not for Legal Use.